न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 280/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/280

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. उषाकंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पलासिया कलां तहसील आहोर जिला जालोर		1. मीरादेवी पत्नि नरसिंहजी 2. रूपसिंह पुत्र नरसिंहजी 3. सीतादेवी पत्नि छोगजी 4. रामसिंह पुत्र छोगजी 5. सुरेशसिंह पुत्र छोगजी 6. किशोरसिंह पुत्र गेनजी 7. महेन्द्रसिंह पुत्र गेनजी 8. ईश्वरसिंह पुत्र नरसिंहजी 9. मनोहरसिंह पुत्र छोगजी समस्त जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पुरोहितो का बास पलासिया कंला तहसील आहोर जिला जालोर 10. ग्राम पंचायत पावटा जरिये ग्राम विकास अधिकारी/ सरपंच तहसील आहोर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त * पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर निर्णय दिनांक 13.02.2024

उपस्थिति :–
1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट
2. श्री मो. शरीफ काजी, श्री घनश्याम सिंह, श्री सदाम काजी, ईमरान खान विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स

:: **निर्णय** ::

दिनांक :– 26.09.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के निर्णय दिनांक 13.02.2024 एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 22.06.2021 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस अपीलाण्ट की सुनी गई।

26/9

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्टस् के विरूद्ध एक म्यूटेशन अपील अधीनस्थ न्यायालय मे म्यूटेशन संख्या 261 के विरूद्ध इस आशय की कि अपीलाण्ट के पूर्वज भभूता व मोती पिसरान जीवा थे। प्रथम सेटलमेन्ट मे 1/2 हिस्से में पाबू पत्नि प्रभु का नाम गलत दर्ज हो गया जबकि कब्जा काश्त भभूता तथा जीवा का ही है। पाबू संवत 2012 से पूर्व ही बाल विधवा हो जाने से भरण पोषण भभूता व मोतीजी ने किया। पाबू ने बिना कब्जे की भूमि दिनांक 01/06/2021 को उषाकंवर को विक्रय कर दी जबकि कब्जा काश्त नही था। कुछ समय बाद पाबू की मृत्यु हो गई। म्यूटेशन संख्या 261 ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिटिंग भरा गया है। पाबू की उम्र करीब 112 वर्ष थी लेकिन विक्रय पत्र आम मुख्तियार मे अलग अलग उम्र दर्ज की है। विक्रय बिना कब्जा व बिना प्रतिफल होने से इसके आधार पर पारित म्यूटेशन को निरस्त करने हेतु मयाद बाहर अपील पेश की। अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अधिन न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये, गलत रूप से निर्णय पारित कर विधि व तथ्यो की भारी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति साथ मे पेश है। ग्राम पलासिया पटवार हल्का पावटा तहसील आहोर के खसरा नम्बर 415, 242, 177, 178, 179, 238, 241, 268, पाबू पत्नि परबूजी जाति राजपुरोहित के सहखातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी। उक्त पाबू पत्नि परबूजी के कोई जायदा पुत्र, पुत्री नही थे। पाबू ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि को अपीलाण्ट को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 01/06/2021 द्वारा विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक आहोर द्वारा पंजीबद्ध है। उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर म्यूटेशन संख्या 261 द्वारा विक्रेता खातेदार पाबू के स्थान पर क्रेता अपीलाण्ट का नाम दर्ज किया गया। विक्रय पत्र अनुसार क्रेता अपीलाण्ट खरीदशुदा भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज है।

यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधिन न्यायालय का रेकर्ड तलब किये बिना ही सीधे ही अपील को बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर विधि व तथ्यो की भारी भूल की है। अधिन न्यायालय की पत्रावली को देखने से ही प्रकट है कि अधिन न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के परे जाकर कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है। अधिन न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 12/09/2023 को की गई है जबकी अपील मे एक पक्षीय कार्यवाही करने के कोई प्रावधान नही है, साथ ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट के ही सहयोगी है जिसे जानबूझकर रेस्पोडेण्ट के रूप मे नियोजित किया गया था। अधिन न्यायालय द्वारा दिनांक 19/01/2024 को धारा 5 मयाद अधिनियम पर सुनवाई कर धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करना आदेशिका मे दर्ज है। उक्त आदेश मे आवेदन को स्वीकार

20/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

करने बाबत किसी प्रकार की कोई फाईन्डिंग नही है। केवल दो शब्दो मे आवेदन स्वीकार करना लिखा है। ऐसे आदेश को विधिक नही कहा जा सकता है। दिनांक 13/02/2024 को पत्रावली न तो पेशी मे आई थी, न ही सुनवाई हुई एंव न ही अपीलाण्ट उषाकंवर अधिवक्ता की बहस सुनी आदेशिका दिनांक 13/02/2024 मे रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनकर निर्णय पारित करना बताया जबकि इसके विपरित निर्णय मे रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की उपस्थिति बताकर रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की बहस सुना जाना बताया है जो दोनो ही आर्डरशीट व निर्णय एक दूसरे के विपरित है, इससे भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अवैध रूप से निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधिवक्ता को सुने बिना ही गलत रूप से उपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णय पारित किया है। निर्णय मे रेस्पोडेण्ट की बहस मे यह कथन दर्ज करना कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही अवैध रूप से हुई है क्योकि धारा 5 का आवेदन तो पूर्व पेशी पर ही अधिन न्यायालय द्वारा स्वीकार कर निर्णित कर दिया था ऐसी स्थिति इस बाबत न तो बहस की जा सकती थी, न ही सुनी जा सकती थी। म्यूटेशन संख्या 261 को केवल इस आधार पर निरस्त करना दर्ज किया है कि ग्राम पंचायत ने स्वीकृत नही कर सरपंच ने स्वीकृत किया हैं। उक्त फाईडिंग किस आधार पर दी गई है, पूरे निर्णय में एक शब्द भी नही है। जब अधिन न्यायालय (ग्राम पंचायत) का रेकर्ड पेश ही नही हुआ तो ऐसी स्थिति मे इस प्रकार की फाईडिंग स्वतः ही अवैध है। अपीलाण्ट ने तत्कालीन खातेदार पाबू से उसके सहखातेदारी की कृर्षि भूमि पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 01/06/2021 द्वारा प्रतिफल अदा कर खरीद की है एवं कब्जा प्राप्त किया है। मृतक पाबु धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत absolute owner है। उक्त विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय मे अब तक किसी ने भी चुनौति नही दी गई है तथा जब तक उक्त विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उसके आधार पर पारित म्यूटेशन को किसी भी रूप से निरस्त नही किया जा सकता है, न ही म्यूटशेन को चुनौति दी जा सकती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2002 पेज नंबर 724 एवं आर आर टी (1) 2023 पेज नंबर 576 प्रस्तुत किये। उक्त म्यूटेशन में रेस्पोडेण्टस् पक्षकार नही थे, न ही विक्रयपत्र मे पक्षकार थे इसलिए उक्त म्यूटेशन से उनके कोई अधिकार प्रभावित नही होते है एवं उक्त म्यूटेशन को चुनौति देने का कोई अधिकार नही था। अपील बिना अनुमति प्राप्त किये पेश की है जो पोषणीय नही है क्योकि तृतीय पक्ष द्वारा अनुमति हेतु आवेदन पेश कर अनुमति प्राप्त किये बिना प्रस्तुत अपील पोषणीय नही रहती है। रेस्पोडेण्टस् मृतक पाबू के नजदीकी न तो रिश्तेदार है न ही नजदीकी वारिसान है। उक्त रेस्पोडेण्टस् मृतक पाबू के कुछ भी नही लगते है। पाबू संवत 2012 के पूर्व से रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति मे उक्त म्यूटेशन को चुनौति देने का रेस्पोडेण्टस् को कोई अधिकार नही है न ही रेस्पोडेण्टस् उपरोक्त म्यूटेशन से व्यथित व प्रभावित पक्षकार है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर पारित म्युटेशन में कब्जे की जांच करने की तहसीलदार या ग्राम पंचायत को अधिकारिता नही है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करन के कोई विकल्प नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर आर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

टी 2012(1) पेज नंबर 238, आर आर टी 2006(2) पेज नंबर 1034 प्रस्तुत किये गये। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

यह है कि म्यूटेशन पंजीबद्ध विक्रयपत्र के आधार पर भरा जाकर स्वीकार किया गया है, इसलिए जब तक विक्रयपत्र अस्तित्व मे है, तब तक उक्त म्यूटेशन को विधिनुसार निरस्त नही किया जा सकता है इस कारण भी पारित निर्णय विधि के प्रतिफल होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/02/2024 निरस्त फरमावे एवं म्यूटेशन संख्या 261 दिनांक 22/06/2021 बहाल फरमावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान निवेदन किया कि नये खसरा संख्या 177 व 179 पुराने खसरा संख्या 124 से, नये खसरा संख्या 178 पुराने खसरा संख्या 123 व 124 से कायम हुये। नये खसरा संख्या 415 पुराने खसरा संख्या 225 से, नये खसरा संख्या 238, 241, 242 पुराने खसरा संख्या 192 से व नये खसरा संख्या 268 पुराने खसरा संख्या 193 से कायम हुये। जमाबंदी खतौनी 2023 से 2025 में पुराने खसरा संख्या उपरोक्त में भभुता, मोती पुत्र जीवा की खातेदारी दर्ज है। सेटलमेन्ट व इसके पूर्व प्रभुजी की कोई खातेदारी दर्ज नही है। कुपाजी के परिवार का संजरा लिखित बहस में प्रस्तुत किया गया है। पाराजी व जीवाजी सगे भाई है। सेटलमेन्ट के पूर्व से बापी व खुदकाश्त जीवाजी व इनके पुत्रो भभुता जी, मोती की चली आ रही है। वर्तमान में भी खातेदारी रेस्पोडेन्ट के जमाबंदी में दर्ज है। भूमि का विभाजन नही है। प्रभुजी की मृत्यु हो गई व पाबुदेवी बाल विधवा हो गई। इस कारण जीवा जी के वारिसान् भभुता, मोती व रेस्पोडेन्ट द्वारा पाबुदेवी का जीवन व्यापन करवाया। भरण पोषण के लिये अविभाजित भूमि सिमित अधिकार के लिये दी गई। इनका (पाबुदेवी) का कब्जा नही था। पाबुदेवी की स्वअर्जीत सॅम्पती नही थी, आज भी कब्जा पाबुदेवी व उषादेवी का नही है। उक्त भूमि उत्तराधिकार से, वसीयत से, दान से पाबुदेवी को प्राप्त नही रही है। रेस्पोडेन्ट की सहदायगी सम्पती है। पाबुदेवी सहदायगी सदस्य नही थी। प्रभुजी की सम्पती नही थी। प्रभुजी का कब्जा नहीं था. बाल विधवा पाबुदेवी थी। इस कारण कृषि भूमि में अधिकार पैदा नहीं हुआ है। इस संबंध में माननीय न्यायालय की न्यायिक दृष्टांत सी टी 2023 (एस सी) पेज नंबर 39 किया गया है। सन् 1940 के पूर्व प्रभु व पाराजी की मृत्यू हो चुकी थी। इस कारण हिन्दु महीला संम्पती अधिकार अधिनियम 1937 के तहत कृर्षि भूमि में अधिकार पैदा नहीं हुआ। तत्पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आया। इस अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार पूर्ण अधिकार पाबुदेवी को प्राप्त नहीं हुये है। मात्र गलत एन्ट्री पाबुदेवी के नाम रही है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस सी सी डी 2024(2) पेज नंबर 1014 प्रस्तुत किया गया है। सेटलमेन्ट विभाग को पाबुदेवी के नाम एन्ट्री करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पाबुदेवी के कब्जे की व अर्जित की हुई नहीं है। पाबुदेवी कब्जे से बाहर है। इस कारण स्वत्व नही है। पूर्ण अधिकार नही होने से उषादेवी का बैचाण शुन्य व कब्जे रहीत है। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वकीय विधि लागु होती है। उषादेवी अजनबी है, रेस्पोडेन्ट रेकर्डेड खातेदार है। पुरूष वंश की सहखातेदारी है। अजनबी उषादेवी अन्दर प्रवेश करने

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

व कब्जा प्राप्ती का अधिकार नही है। इस कारण नामातंरण उषादेवी नहीं किया जा सकता है। पंजीयन बैचाण शुन्य है। राईट व टाईटल पैदा नही हुये।

यह है कि पाबुदेवी की मृत्यु दिनांक 25.07.2022 को हुई। इनका तमाम सामाजिक कार्यक्रम रेस्पोडेन्ट ने किया। इस कृर्षि भूमि में रेस्पोडेन्ट का विद्युत कनेक्शन है। खसरा संख्या 238, 241, 242 में सर्पूण भूमि में एरण्डी की बुआई है, खसरा संख्या 177, 178, 179 में मुगंफली, कपास व एरण्डी की फसल बोई हुई है। खसरा संख्या 415 इस वर्ष स्वय के पशु चराई के लिये रखी हुई है। शपथ पत्र रूपसिहं व रामसिहं का पेश किया है। बिना कब्जे के उषादेवी पत्नि माधोसिहं द्वारा पंजियन बैचाण अपने पक्ष में करवा दिया। दिनांक 1.6.2021 का पंजियन बैचाण निरस्त का वाद श्रीमान जिला न्यायालय जालोर में विचाराधीन है। महेन्द्रसिहं पुत्र गनेसिहं द्वारा दिनांक 23.08.2022 को एफ आई आर संख्या 246/2024 उषादेवी व अन्य के विरूद्ध दर्ज करवाइ है। एफ आर विचाराधीन है। दिनांक 01.06.2021 को उषादेवी के पक्ष में 100 वर्षीय वृद्ध पाबुदेवी से बिना प्रतिफल के, तथ्य छुपाकर, जो सुन समझ नही सकती थी, कम दिखाई देता था, अपीलान्ट परिवार का सदस्य नही था, पाबुदेवी संविदा करने में सक्षम नही थी, पर्दानशिन औरत थी, धोखे से पंजियन बैचाण करवाया। इसमें साख उषादेवी के पुत्र छोगसिहं व छोगसिहं के अंकल के लडके ने डाली, जो पैतृक सम्पती का बैचाण शुन्य है। इस बैचाण से उषादेवी के अधिकार पैदा नही हुये है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस सी सी डी 2020(1) पेज नंबर 284 प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेन्ट की पैतृक सहदायगी अविभाजित कृर्षिभूमि का बैचाण पाबुदेवी करने मे सक्षम नहीं थी। बैचाण अपूर्ण है। भूमि पाबुदेवी के कब्जे में नहीं थी. नहीं अर्जीत थी। पाबुदेवी सहदायगी की सदस्य नहीं थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया एवं बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आहोर द्वारा दिनांक 13.02.2024 को निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत अपील वकील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 13.05.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील अपीलाण्ट द्वारा लगभग 30 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में विलम्ब को कण्डोन किया जाना आवश्यक है। जैर अपील का निर्णय लिमिटेशन के आधार पर नही होकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। वाद ग्रस्त आराजी पाबू की कृषि भूमि रही है। वाद ग्रस्त भूमि के खातेदार पाबू बेवा परबु के हिस्से की खातेदारी होने से पाबू ने अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड बेचान किया गया है। रस्पोडेण्ट्स ने रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया गया है। ग्राम पंचायत पावटा ने रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 261 दिनांक 22.06.2021 को पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आहोर ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2024 में अंकन किया है कि ग्राम पलासिया का म्यूटेशन संख्या 261 जो ग्राम पंचायत ने स्वीकृत न करके अकेले सरपंच ने अपने स्तर पर स्वीकृत किया है, उसे खारीज किया जाता हैं। इस बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने द्वौराने बहस अवगत करवाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

आहोर ने ग्राम पंचायत, पावटा पं.स. आहोर जिला जालोर का प्रस्ताव रजिस्टर नही मंगवाया गया तथा बिना प्रस्ताव रजिस्टर के आदेश पारित कर दिया गया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा ग्राम पंचायत पावटा से मूल रिकॉर्ड यथा प्रस्ताव रजिस्टर प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत, पावटा से प्राप्त प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 22.06.2021 को ग्राम पंचायत, पावटा की बैठक आहुत की गई है। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 7 में ग्राम पलासिया कलां का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 22.06.2021 पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण अकेले सरपंच ने पारित नही किया गया है बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित कर निर्णीत किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आहोर द्वारा दिनांक 13.02.2024 को अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों पर समुचित गौर किये बिना पारित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार कोई भी सहकाश्तकार अपने हिस्से को विक्रय कर सकता है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2018 (2) पेज नंबर 845, आर आर टी 2022 (2) पेज नंबर 807 एवं आर आर टी 2009 (1) पेज नंबर 25 प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार "Property of a female Hindu to be her absolute property" है। अपील एक समरी प्रोसेडिंग है, जिसमें खातेदारी अधिकार तय नही किये जा सकते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 विधि के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आहोर के प्रकरण संख्या 12/2022 उनवान मीरादेवी बनाम ईश्वरसिंह निर्णय दिनांक 13.02.2024 को अपास्त किया जाता हैं एवं ग्राम पंचायत पावटा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 22.06.2021 का बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, आहोर को पालनार्थ भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

26.9.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.9.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

26.9.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)